उत्तर प्रदेश शासन

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1

संख्या:11/2022/बी-1- 356 /दस-2022-15/2003

लखनऊ: दिनाँक: 10 मई, 2022

कार्यालय-ज्ञाप

आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों में व्यय के अनुमानों को निर्धारित संगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल, आय-व्ययक को और अधिक सूचनाप्रद बनाने तथा व्यय को अधिकाधिक युक्तिसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वर्गीकृत किये जाने की दृष्टि से निम्नांकित दो नई मानक मद खोले जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है -

" 61- केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण "

" 62- केन्द्र प्रायोजित योजना में भुगतानित वेतन की प्रतिपूर्ति "

मानक मद "61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. में अन्तरण" के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की केन्द्रांश व राज्यांश की धनराशि (वेतन एवं अन्य मदों सहित) को सिंगल नोडल एकाउण्ट (एस.एन.ए.) में स्थानान्तरित करने हेतु बजट प्रावधान कराये जायेंगे।

मानक मद "62- केन्द्र प्रायोजित योजना में भुगतानित वेतन की प्रतिपूर्ति" के अन्तर्गत केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि (केन्द्रांश व राज्यांश सहित) की सिंगल नोडल एकाउण्ट (एस.एन.ए.) में स्थानान्तरित धनराशि में से वेतन की मदों में भुगतानित सकल धनराशि (केन्द्रांश +राज्यांश) की प्रतिपूर्ति हेतु समतुल्य धनराशि का ऋणात्मक (-) बजट प्रावधान कराये जायेंगे।

एस. राधा चौहान

अपर मुख्य सचिव, वित्त

एवं वित्त आयुक्त।

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव

एवं सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या: 11/2022/बी-1- 356 (1)/दस-2022-15/2003, तद्दिनाँक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम / द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(3) निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।

(4) निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) समस्त मुख्य कोषाधिकारी / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(6) सचिवालय के समस्त अनुभाग।

(7) विभागीय आदेश पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in